

(स) प्रकरण में मूलनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाना को अपूरणीय क्षति होना समाविष्ट है।

प्रकरण में प्रस्तुत साबिक राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित आराजी पैतृक होती है। उक्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थी के उक्त आराजी में हक निहित प्रतीत होता है। इससे प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित प्रतीत होता है। इससे प्रथमदृष्टया प्रकरण शर्त पुष्ट प्रतीत होती है। साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस व शपथ-पत्र के अनुसार विप्राधीगण प्रार्थी के हक-हिस्से की भूमि का बेचान कर प्रार्थी को पैतृक हकों से बेदखल किये जाने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष एवं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना प्रतीत होती है। इससे प्रथमदृष्टया द्वितीय व तृतीय शर्त पुष्ट प्रतीत होती है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर अप्राधीगण के जवाब प्रस्तुत करने तक हाल आराजी खसरा संख्या 455/0.0081 है 0 456/0.0081 है 0 899/457/2.1367 है 0 कुल किता 03 कुल रकबा है 0 2.1529 वांके ग्राम रामजी का फांटा एवं 102/34/0.1289 है 0 3/10/0.0486 है 0 3/7/6.3131 है 0 34/4/0.5342 है 0 5/2.6224 है 0 कुल किता 05 कुल रकबा 9.6472 है 0 ग्राम रामजी का गोल की भूमि पर प्रार्थी के हक हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्राधीगण को पांबद किया जाकर इस बाबत कोई उज्जदारी हो तो हाजा न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 31.05.2024 को पेश हो।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुरुग्राम

31/05/24 - पत्रावली लक्ष देकर डुप्ली वकील जार्जी उपस्थित।
वकील जार्जी द्वारा अजाहीगण के लक्षण शक द्वारा
नेजर रखी देकर थी। लक्षली डेक दिफोर्ट
देकर थी। अजाहीगण नकुलितल। अजाहीगण
के बिलट एक तरफ कापवाही थी जाती है वकील
जार्जी के पत्रावली पर बहस डुप्ली। मूल कांड
के विस्तार लक्ष शक न्यायालय डिल-जार्जी
नकुलित निषेधाज्ञा डिल 16/04/24 पुष्ट (Conf'rm)
थी जाती है पत्रावली डिलिग डुप्ली होकर मूल
कांड के लक्ष नकुली है।

नोटिस जारी
डायरी
1056
21/5/24

